अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख सं0 427 /2018-19
बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जाँच प्रारंभ की गयी। जाच के क्रम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा–आमाघाटा मौजा न0– 09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 ग्र रकवा 10.95 की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पजी– II के जिल्द सख्या 03 के पृष्ठ सख्या 192 पर जमाबदी रैयत श्रीमती पूनम प्रसाद के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है। अतः– उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 27/3/19 को रखे। (हस्ताक्षर) 13.3.19 अचल अधिकारी, धनबाद।	

27/3/19

आज अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरिक्षकसे मतव्य/प्रतिवेदन अप्राप्त है।

अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

10/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त है निर्वाचन के पश्चात अभिलेख दिनांक 24/4/19 को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

10/6/20

आज अभिलेख उपसथापित। अंचल निरिक्षक का मंतव्य/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिश निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

20/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदित भूमि मौजा आमाघाटा मौजा न0 09 खाता न0 28 प्लॉट न0 138 रकवा 10 कटठा भूमि से सबधी राजस्व कागजात उपलब्ध कराने हेतु जमाबदी रैयत को नोटिश निर्गत किया गया। जमाबदी रैयत के सबध मे खोज–बीन करने के उपरात पता नही चला, जिसके कारण नोटिश बिना तामिला का ही प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख मे सलग्न है। सबधित राजस्व कर्मचारी एव अचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि गैरआवाद खाते की है दाखिल खारिज केस स0 1196(I)1992–93 के अनुसार जमाबदी कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा जमाबदी को सदेहासपद माना है। राजस्व कर्मचारी एव अचल निरिक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्व हेतु अनुशसा किया है।

अत: जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबदी रद्व अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद, को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एव संशोधित।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned by CamScanner